

## कार्यालय/OFFICE OF THE

# प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखण्ड

PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, BIHAR & JHARKHAND प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING,

बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001 दूरभाष नं: TEL NO : 0612-2504447, फैक्स FAX : 0612-2504066 ईमेल/Email:

patna.pccit@incometax.gov.in

ORDER No. 401 of 2024
Dated, Patna, the 31st December, 2024

F. No. PCCIT/PAT/Estt./20015/8/2022-23/ ...............रिक्त वर्ष 2025 के लिए 30.12.2024 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारी को विरष्ठ अनुवाद अधिकारी [7 वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल ७ रु. 44,900/- - रु. 1,42,400/- एवं अन्य मान्य भत्ते] के पद पर नियमित आधार पर In-situ आधार पर दिनांक 01.01.2025 अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। ये कर्मचारी अगले आदेश तक उसी तरह के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे, जहां वे तैनात थे।

Pursuant to the panel recommended by the DPC held on 3C.12.2024 for Vacancy Year 2025 the following official is hereby promoted on regular basis as Senior Translation Officer (Pay Level 7 as per 7th CPC Rs. 44,900/- - Rs. 1,42,400/-) plus such allowances as may be admissible wef 01.01.2025 or from the date of joining, whichever is later on *In Situ* basis. The official will continue to discharge the same functions and duties as she was discharging before their promotions in the present office where she was posted until further order:

### Vacancy Year 2025

Sl.No.	Name (Ms.)	Category	Date of Birth	Employee No.
1	Mrinali Mishra	UR	13.01.1989	186573

#### Conditions:

1. The above promotion/inter-se-seniority of the above named Officer shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.

(सोपन जपाध्याय) आयकर चुन्तयुक्त (मुख्या०) प्रशा० कार्यालय ब्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखण्ड, पटना उपरोक्त नामित अधिकारी की उपरोक्त पदोन्नति/पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन/संशोधन के अधीन होगी।

2. The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों नें परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।

3. The said promotion order is subject to outcome of SLP, if filed by the Department with regard to the Order of Hon'ble High Court, Patna dated 06.02.2018 in CWJC No. 17935/2017(main order) & 16742/2017 (arising out of OAs No. 223/2017 & 356/2017) and any Order of Hon'ble Apex Court which may be applicable which may be applicable in this matter.

उक्त पदोन्नति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.02.2018 सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17935/2017 (मुख्य आदेश) और 16742/2017 (के के आदेश) (ओएएस संख्या 223/2017 और 356/2017 में से उत्पन्न होने वाले) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश जो इस मामले में लागू हो सकता है के संबंध में विभाग द्वारा दायर किया गया एसएलपी के परिणाम के अधीन होगा

4. The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं दिनांक 15.07.11 केआदेश के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 की विशेष अनुमित में और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 31288/2017 में एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा स 36012/11/2016-Estt (pes-1) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के अनुसार संसूचित संबंधित न्यायिक मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित/ दिए गए आदेश/ निर्देश के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी.

5. The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-se-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

(सीरे स्ट्राह्याय) आयकर उपार्क्त (तुख्याः) प्रशाः कार्यालय यान दुख्य आयकर आयुक्त, बिहार रवं झारखण्ड, पटना उक्त पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए एचआरडी, सीबीडीटी, नई दिल्ली द्वारा जारी सलाह के मद्देनजर फीडर संवर्ग में 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 19565-19567 और डीओपीटी के विभिन्न दिशानिर्देशों से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 8833-8835 में एन आर परमार और के मेघचंद्र सिंह व अन्य बनाम निगम सिरो व अन्य के मामले में अंतर-विरष्ठता के संशोधन/पुनर्निर्धारण के संबंध में समीक्षा के अधीन है।

6. The pay of the Officer on promotion may be fixed in accordance with the recommendations as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

पदोन्नति पाये गए अधिकारी का वेतन निर्धारण केंद्रीय सेवा नियम (पुनर्रिक्षित वेतन) के अनुसार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

7. No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

यदि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/20015 -Estt (D)दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधनों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्निदो अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नित पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नित के समय देय होगा।

8. It may be noted that in the event of refusing the above promotion, the officer getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Incometax Officer for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

यह ध्यान दिया जाए कि उपयुक्त पदोन्ति को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन अधिकारी को इस आदेश के अनुसार पदोन्नती दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 नार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा।

9. This promotion is being effected on In Situ basis and the Officer will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

(सीप जिपाध्याय) आयक जुनजुक्त (मुख्या०) प्रशा० कार्यालय अधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखण्ड, पटना सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्ति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और अधिकारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नती के पूर्व कर रहे थे।

10. The compliance report regarding joining of the above Officer shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such Officer.

उपर्युक्त अधिकारी की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट, अधिकारी के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में अग्रसारित की जाएगी।

This issues with the prior approval of the Pr.CCIT(B&J), Patna. यह आदेश प्रधान मुख्या आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखण्ड) पटना के अनुमोदन से परित किया गया है |

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

중이/-

(Kanhiya Lal Kanak)

Commissioner of Income Tax(Admn. & TPS)

Patna

F. No. PCCIT/Estt/Pat/20015/08/2022-23

Dated: 31.12.2024

#### Copy for information to:

- 1. The DGIT (Inv.), Patna
- 2. The CCIT, Ranchi.
- 3. All the PCsIT/PDIT/CsIT/DIT under Bihar & Jharkhand.
- 4. Under Secretary to Govt. Of India, Ad.VI, CBDT, New Delhi, 5th Floor, Jeevan Vinar Buidling,3, Parliament Street, New Delhi-110001
- 5. All the ZAOs of Bihar and Jharkhand
- 6. The ITO(Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna for publishing on official website
- 7. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna.
- 8. Official concerned
- 9. Guard File.

(Saurabh Upadhyay)

Dy. Commissioner of Income Tax Hqrs (Admin),

Patna

बिहार एवं झारखण्ड, पटना